न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी— मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/277

1. पप्पूलाल आत्मज मोहन जाति माली निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. शम्भूलाल आत्मज मोहन जाति माली निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. मोहनबाई पत्नि पप्पूलाल जाति माली निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
4. कैलाशी पत्नि पप्पूलाल जाति माली निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बद्री आत्मज रामा जी जाति बलाई निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. लल्लू आत्मज रामा जी जाति बलाई निवासी ग्राम कावचिया का खाल जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. मीरा पत्नि रामलक्ष्मण पुत्री रामा जी निवासी ग्राम तालगा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुलदीप सिंह गौड, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम— 01 लगायत 03 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 27.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 लगायत 04 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने बाबत् अंतर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

पेश कर कथन किया कि जमाबन्दी (खेवट / खतोनी) अन्तिम चोसला आधार सम्वत 2076–2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) की कृषि भूमि खाता संख्या नया 576 व पुराना 1 खसरा संख्या 4187 / 70 रकबा 1.6180 हेक्टेयर वाके ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर भू अभि0 निरीक्षक क्षेत्र जजावर तहसील नैनवां जिला बूंदी (राज0) में स्थित है। उक्त कृषि में खातेदार कृषक के स्थान पर प्रार्थी रामा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है जमाबन्दी की नकल की फोटो कोपी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वर्ष 1976 में प्रार्थी के नाम 10 बीघा कृषि भूमि अलोट हुई थी । वक्त आवंटन कृषि भूमि के खसरा संख्या 4187/70 थे जो वर्तमान जमाबन्दी में भी उक्त खसरा नम्बर 4187/70 रकबा 10 बीघा प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी व उसके पुत्र निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में सरसो की फसल की हुई है तथा कृषि भूमि के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण में पत्थर का कोट किया हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 4187/70 पर अलोटमेन्ट के बाद से ही प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी वृद्ध हो जाने से उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी के पुत्र उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अलोटमेन्ट के बाद से ही प्रार्थी व उसका परिवार का कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी ने काबिज काश्त रहते हुए ही भूमि के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण दिशा में पत्थरों का कोट भी लगाया है । प्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि खसरा संख्या 4187/70 रकबा 10 बीघा का आवंटन सन 1976 में किया गया था। तत्समय ही दखलनामा जारी कर आवंटित भूमि का कब्जा प्रार्थी को संभला दिया गया था, तब से प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन होने के उपरान्त उक्त कृषि भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 2044 दिनांक 29.09.2015 से प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त रहने व आवंटन शर्तों की नियमित रूप से पालना किये जाने से प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकार आवंटित कृषि भूमि के बाबत जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए जमाबन्दी में खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि की चतुसमा निम्न प्रकार है:–

पूर्व में – जगदीश धाकड़ की कृषि भूमि ।

पश्चिम में – गोपाल गुर्जर की कृषि भूमि ।

उत्तर में – पठारी भूमि टीकम तेली की ।

दक्षिण में – प्रार्थी के खाते की जमीन ।

प्रार्थी को उक्त वर्णित कृषि भूमि का आवंटन सन 1976 में होने के बाद तथा वक्त आवंटन ही जरिये दखलनामा कब्जा संभलाये जाने से ही आवंटित स्थान पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटित कृषि भूमि का रकबा 50 बीघा का है जिसमें से 10 बीघा भूमि प्रार्थी को आवंटित हुई थी। जिस पर प्रार्थी पत्थर की कोट करके काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सन 1976 से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप अप्रार्थीगण 1 लगायत 4

की कोई कृषि भूमि नही है और न ही प्रार्थी की आवंटित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है। दिनांक 24.07.2021 को दिन के 12 बजे करीबन अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 एक राय होकर प्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से लकडिया लेकर नीले कलर के स्वराज ट्रेक्टर में बैठकर वादी की कृषि भूमि पर आये और आते ही उन्होनें प्रार्थी की कृषि भूमि में उगी हुई फसल उड़द व तिल्ली की फसल को जबरन व ताकत के बल पर ट्रेक्टर चलाकर हांक दिया जब प्रार्थी का पुत्र व प्रार्थी की पुत्रवधु ने कृ षि भूमि पर पहुँचकर अप्रार्थीगण से फसल नष्ट करने से मना किया तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु में माँ बहिन की पोश गालियाँ निकाली. सभी अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु की तरफ दौडे और कहा कि मादचोद बलाईटे तेरा इस जमीन में कुछ नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने प्रार्थी के पुत्र से कहा कि हमने तेरी गैर हाजरी में राजस्व अधिकारियों पटवारी कानूनगो व अन्य कर्मचारियों से मिलीभगत कर दिनांक 25.05.2017 को तुम्हारी कृषि भूमि की हमारे हिसाब से तरमीम करवा ली हैं। इस प्रकार उक्त अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों व पुलिस से मिलीभगत कर षडयंत्रपूर्वक नवशे में गलत तरमीम करवाकर प्रार्थी के कब्जे, खाते व स्वामित्व की कृषि भूमि को हड़पना चाहते है, जबकि अप्रार्थीगण की आस पास कोई जमीन नहीं है। प्रार्थी के खेत के आस पास अप्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि नही है, अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर जबरदस्ती प्रार्थी के खाते, स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर हडप करने का उद्देश्य रखते है तथा प्रार्थी व उसके परिवजनों को खेत पर जाने पर जान से मारने की धमकी देते है। प्रार्थी बलाई जाति का होने से अनुसूचित जाति (दलित वर्ग) के अन्तर्गत आता है जबकि अप्रार्थीगण माली जाति के होने से ओ०बी०सी०/संवर्ण वर्ग के अन्तर्गत आते है प्रार्थी व उसका परिवार गरीब है जबकि अप्रार्थीगण दबगं ताकतवर व्यक्ति है जिन्होनें गिरोह बना रखा है। उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी व उसके परिवार के पेट पालन व रोजी रोटी का अन्य कोई स्रोत नही है। यदि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खाते स्वामित्व की कृषि भूमि से बेदखलकर कर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को नहीं संभलाई गई तो मजबूरन प्रार्थी व उसके परिवार को गाँव से अन्यत्र पलायन करना पडेगा तथा प्रार्थी को अपनी आवंटित कृषि भूमि से वंचित होना पड़ेगा। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रार्थी की आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसे कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है तथा उसकी कृषि भूमि की नक्शे में हुई तरमीम को गलत दर्शाते हुए अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 व राजस्व अधिकारियों द्वारा आपस में मिलीभगत किया जाना संभावित है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 दिनांक 14.10.2021 से निरन्तर प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4187 / 70. पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके खातेदारी की कृषि भूमि पर से फसल को काटने कृषि कार्य करने, कृषि संसाधन लाने ले जाने व कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने में लगातार दखलअन्दाजी कर रहे है तथा झगडा करते रहते है। जिसको लेकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध थाना नैनवों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया हुआ है। फिर भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 निरन्तर कब्जा करने पर प्रयासरत है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4187/70 रकबा 10 बीघा के बाबत अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि के प्रार्थी को उसके खातेदारी

की कृषि भूमि पर से फसल को काटने कृषि कार्य करने, कृषि संसाधन लाने ले जाने व कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने में दखलअन्दाजी न तो स्वय करे और न ही किसी अन्य से करावे । यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगें, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग जीविकोपार्जन में काफी समस्या होगी तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा पक्षकारों में मुकदमें बाजी बढ़ेगी, प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही हो सकेगा। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।अतः प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4187/70 रकबा 10 बीघा खातेदारी की कृषि भूमि से प्रार्थी को फसल काटने कृषि कार्य करने, कृषि संसाधन लाने ले जाने व कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने में दखलअन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधज्ञा से पाबंद किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 में अंकित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.09.2022 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश वस्तु स्थिति एंव विधान के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। 2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय में जेरकार उक्त कार्यवाही में दिनांक 28–9–2022 को अपीलांटस को बिना वैधानिक सूचना व बिना तामिल हुये एक तरफा कार्यवाही की गई है जो निरस्त होने योग्य है। 188 राज0टि०एक्ट के दावे में कृषि भूमि पर कब्जा महत्वपूर्ण होता है वादी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का वाद विषयक भूमि पर कब्जा नहीं होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में वाद विषयक भूमि पर

कब्जा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नहीं होने का तथ्य पटवारीहल्का की मोका रिपोर्ट दिनाक से भी प्रमाणित है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अपील विषयक कृषि भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त वर्षो से चला आ रहा है जिसमें इस भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट अपीलांट द्वारा लगाया हुआ है। इस महत्वपूर्ण तथ्यपर गौर नही करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का कब्जा 4187 / 70 पर नहीं होकर 4187/72 पर होने के बावजूद उक्त आदेश 4187/70 के लिए पारित कर दिया है जबकि इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 1 का कब्जा नहीं है। अपील विषयक आराजी का हंकाई जुताई करके अपीलांट द्वारा फसल बोई हुयी है। कब्जे के अभाव में वादी रेस्पोडेन्ट का वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से भी निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 28–9–2022 को पारित किया है इसलिए अपील अंदर अवधि पेश है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हम भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण अपीलांट का इस विवादित भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। हमें खसरा नंबर 4187/70 आवंटित हुआ। अलौटमेंट के पश्चात् हम इस भूमि पर काबिज काश्त है। हमारे पक्ष में नामांतरण खुलकर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो चुकी हैं। हमने स्पष्टतः प्रश्नगत भूमि की चतुर्सीमा बताई है। अप्रार्थीगण का खसरा नंबर 4187/70 की भूमि से कोई सम्बंध नहीं है।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में फोटोप्रति जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी की खाता संख्या 1 की खसरा संख्या 70 रकबा 50 बीघा किस्म बंजड़ दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी के भू–धारकों का नाम के कॉलम में राजस्थान सरकार अंकित है तथा इ.न. 2044/29.09. 2015 से ख.न. 4187/70 रामा पुत्र मांगीलाल कौम बलाई देह खातेदार दर्ज होने का नोट अंकित है। दो अलग–अलग फोटोप्रतियाँ आंशिक प्रतिलिपियाँ नक्शा ट्रेस ग्राम जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी की खसरा नम्बर 60 का है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की है जिसके अनुसार ग्राम जजावर तहसील नैनवां की खाता संख्या 4187/70 में दर्ज खसरा नम्बर 1.6180 हैक्टेयर भूमि रामा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 07.10.2021 ग्राम जजावर तहसील नैनवां की खाता संख्या 72 में दर्ज खसरा नम्बर 4.0450 हैक्टेयर भूमि रामा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

फोटोप्रति खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 07.10.2021 की है जिसके अनुसार ग्राम जजावर तहसील नैनवां की खाता संख्या 4187/70 में दर्ज खसरा नम्बर 1.6180 हैक्टेयर भूमि रामा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन हेतु आवेदन पत्र (फॉर्म न. 3 नियम 8) की है। प्रथम दृष्टया हमारे समक्ष अपीलांट द्वारा भू प्रबंध से पूर्व की ऐसी कोई जमाबंदी अथवा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 को आवंटित भूमि खसरा नं0 70 की 10 बीघा भूमि का नवीन खसरा नं0 4187/72 बना हो तथा अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे खसरा सं0 4187/70 के वे खातेदार रहे हो। दूसरी ओर प्रार्थी रेस्पो0 खसरा सं0 4187/70 के आवंटी है तथा खातेदार है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि प्रार्थी रेस्पो0 के नाम दर्ज है। विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर उभयपक्ष ने स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट अप्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर रेस्पो0 प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रेस्पो0 रामा पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज रही है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा